सत्यमेव जयते

	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	माघ 19, गुरुवार, शाके 1945 - फरवरी 08, 2024 Magha 19, Thursday, Saka 1945 - February 08, 2024	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी
किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 08, 2024

एस.ओ.532 .-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 86 और 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 58 का संशोधन.- राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप-नियम (3) में विद्यमान अभिव्यक्ति "उससे पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के मार्च मास या किसी पश्चातवर्ती मास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उससे पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के जनवरी से मार्च मास के दौरान या किसी पश्चातवर्ती मास तक" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[प.4(2)वित्त/कर/2024-63]

राज्यपाल के आदेश से,

(नम्रता वृष्णि)

संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 08, 2024

एस.ओ.533 .-रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 69 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान रजिस्ट्रीकरण नियम, 1955 को और संशोधित करने के लिए महानिरीक्षक रजिस्ट्रीकरण, राजस्थान द्वारा बनाये गये निम्नलिखित नियमों को, उक्त अधिनियम की धारा 69 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा अनुमोदित और प्रकाशित करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. भाग 13 का हटाया जाना.- राजस्थान रजिस्ट्रीकरण नियम, 1955 के खण्ड-1 का विद्यमान भाग 13 हटाया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2024-64]
राज्यपाल के आदेश से,

(नम्रता वृष्णि)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 08, 2024

एस.ओ.534 .-राजस्थान वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम सं. 09) की धारा 18 और 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा,-

(i) भूमि के समस्त वर्गों पर संदेय भूमि कर से, दिनांक 08.02.2024 से; और

(i i) इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि भूमि धारक द्वारा संदेय भूमि कर की मूल रकम का 10 प्रतिशत 31.07.2024 तक जमा करा दिया जाता है, उस पर संदेय शास्ति और ब्याज के साथ भूमि के समस्त वर्गों पर 08.02.2024 से पूर्व संदेय भूमि कर से,

छूट देती है:

परन्तु पूर्व में संदत्त या निक्षिप्त भूमि कर का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2024-65]
राज्यपाल के आदेश से,

(नम्रता वृष्णि)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 08, 2024

एस.ओ.535 .-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्यांक प.4(2)वित्त/कर/2021-272 दिनांक 24.02.2021 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में विनिर्दिष्ट लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और उनके प्रत्येक के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ संख्यांक 3 में यथाविनिर्दिष्ट दर से प्रभारित किया जायेगा:-

सारणी

क्र.सं.	**लिखतों का विवरण**	**स्टाम्प शुल्क**
1	**2**	**3**
1.	मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 या प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीन निम्नलिखित के लिए जारी/निष्पादित पट्टा विलेख/विक्रय विलेख,-	
	(i) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवासीय इकाइयां	प्रतिफल की रकम का 0.5 प्रतिशत
	(ii) निम्न आय समूह के लिए आवासीय इकाइयां	प्रतिफल की रकम का 1 प्रतिशत
2.	राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारियों, लोक उपक्रमों या किन्हीं अन्य सरकारी निकायों द्वारा आबंटित या विक्रीत भूमि के संबंध में या राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन स्थानीय प्राधिकारियों के निपटान के लिए रखी गयी भूमि के संबंध में उनके द्वारा जारी/निष्पादित पट्टा विलेख	आबंटन या विक्रय के मद्धे प्रभारित प्रतिफल की रकम पर राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 33 में यथा विनिर्दिष्ट दरों पर या 100/- रुपये, जो भी अधिक हो

3.	पुनर्विधिमान्यकरण के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत, उपर्युक्त क्रम संख्यांक 1 और 2 के अन्तर्गत आने वाला कोई पट्टा विलेख।	मूल पट्टा विलेख पर संदेय स्टाम्प शुल्क का 120 प्रतिशत।

[प.4(2)वित्त/कर/2024-66]
राज्यपाल के आदेश से,

(नम्रता वृष्णि)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 08, 2024

एस.ओ.536 .-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 9-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि स्टाम्प शुल्क, ब्याज और शास्ति की बकाया मांग का, कलक्टर (स्टाम्प), राजस्थान कर बोर्ड या किन्हीं अन्य न्यायालयों द्वारा विनिश्चित या के समक्ष लंबित, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में यथाविनिर्दिष्ट मामलों के प्रवर्ग में, स्तम्भ संख्यांक 3 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन, स्तम्भ संख्यांक 4 और 5 में विनिर्दिष्ट सीमा तक, परिहार किया जायेगा:-

सारणी

क्र. सं.	**मामलों के प्रवर्ग**	**शर्तें**	**परिहार**	
			स्टाम्प शुल्क	**ब्याज और शास्ति**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	01.04.2003 को या इससे पूर्व रजिस्ट्रीकृत मामलों से संबंधित बकाया मांग	(i) यदि बकाया स्टाम्प शुल्क 31.03.2024 को या इससे पूर्व संदत्त कर दिया जाता है	60%	100%
		(ii) यदि बकाया स्टाम्प शुल्क 31.07.2024 को या इससे पूर्व संदत्त कर दिया जाता है	55%	100%
2.	01.04.2003 के पश्चात् और 31.03.2013 को या इससे पूर्व रजिस्ट्रीकृत मामलों से संबंधित बकाया मांग	(i) यदि बकाया स्टाम्प शुल्क 31.03.2024 को या इससे पूर्व संदत्त कर दिया जाता है	50%	100%
		(ii) यदि बकाया स्टाम्प शुल्क 31.07.2024 को या इससे पूर्व संदत्त कर दिया जाता है	45%	100%

3.	01.04.2013 को या इसके पश्चात् और 31.03.2018 को या इससे पूर्व रजिस्ट्रीकृत मामलों से संबंधित बकाया मांग	(i) यदि बकाया स्टाम्प शुल्क 31.03.2024 को या इससे पूर्व संदत्त कर दिया जाता है	40%	100%
		(ii) यदि बकाया स्टाम्प शुल्क 31.07.2024 को या इससे पूर्व संदत्त कर दिया जाता है	35%	100%
4.	01.04.2018 को या इसके पश्चात् और 31.03.2023 को या इससे पूर्व रजिस्ट्रीकृत मामलों से संबंधित बकाया मांग	(i) यदि बकाया स्टाम्प शुल्क 31.03.2024 को या इससे पूर्व संदत्त कर दिया जाता है	30%	100%
		(ii) यदि बकाया स्टाम्प शुल्क 31.07.2024 को या इससे पूर्व संदत्त कर दिया जाता है	25%	100%

टिप्पण: 1. राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष पुनरीक्षण फाइल करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 65 के अधीन निक्षिप्त रकम, स्टाम्प शुल्क के संदाय के लेखे समायोजित की जायेगी।

2. पूर्व में संदत्त स्टाम्प शुल्क या किसी अन्य रकम का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

3. इस अधिसूचना के अधीन फायदे लंबित मामलों के प्रत्याहरण के लिए संबंधित कलक्टर (स्टाम्प) के समक्ष वचनबंध फाइल करने के अध्यधीन देय होंगे।

[प.4(2)वित्त/कर/2024-67]
राज्यपाल के आदेश से,

(नम्रता वृष्णि)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 08, 2024

एस.ओ.537 .-रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (1) और (2) तथा धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, उक्त अधिनियम के अधीन संदेय रजिस्ट्रीकरण फीस, प्रस्तुतीकरण या उपसंजाति के लिए विलंब फीस और अन्य प्रकीर्ण फीसों की निम्नलिखित सारणी इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से तैयार और प्रकाशित करती है, अर्थात्:-

रजिस्ट्रीकरण फीस, विलम्ब फीस और अन्य प्रकीर्ण फीसों की सारणी

क्र.सं.	दस्तावेजों की प्रकृति और अन्य प्रकीर्ण कृत्य या संव्यवहार	फीस (रुपये में)
	अनुच्छेद-1 **मूल्यानुसार दर पर स्टाम्प शुल्क के साथ प्रभार्य दस्तावेज**	
1.	समस्त दस्तावेजों के संबंध में जिनके लिए मूल्य या प्रतिफल पर स्टाम्प शुल्क संदेय है और जिनके लिए रजिस्ट्रीकरण फीस इस सारणी में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित नहीं की गयी है।	मूल्य या प्रतिफल का 1 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।
2.	हस्तांतरण, पट्टा या बंधक इत्यादि के अनुक्रम में कब्जे सहित या कब्जे के बिना स्थावर संपति के विक्रय के लिए निष्पादित करार या मुख्तारनामा या कोई अन्य करार या दस्तावेज जिनमें मूल्यानुसार स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया जाता है।	मूल्य या प्रतिफल का 1 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।
3.	तत्पश्चात् रजिस्ट्रीकरण के लिए पेश किये गये, उपर्युक्त क्रम संख्यांक 2 में उल्लिखित दस्तावेजों के अनुसरण में निष्पादित वास्तविक हस्तांरण, पट्टा या बंधक इत्यादि, परन्तु पूर्ववर्ती दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समाधान के लिए साबित किया गया है।	न्यूनतम एक हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए मूल्य या प्रतिफल का 1 प्रतिशत, जो भी अधिक हो किन्तु क्रम संख्यांक 2 में पूर्व संदत्त रजिस्ट्रीकरण फीस समायोजित की जायेगी।

अनुच्छेद-2
पट्टों के लिए रजिस्ट्रीकरण फीस

1.	30 वर्ष तक की कालावधि के लिए पट्टे	संदत्त स्टाम्प शुल्क की 20 प्रतिशत
2.	30 वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए पट्टे	मूल्य या प्रतिफल का 1 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।

अनुच्छेद-3
नियत फीस के साथ प्रभार्य दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के लिए

1.	वसीयत	200 रुपये
2.	दत्तक प्राधिकार या दत्तक विलेख	200 रुपये
3.	सामान्य मुख्तारनामा या विशिष्ट मुख्तारनामा (उनको छोड़कर जो मूल्यानुसार स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य हैं)	2000 रुपये
4.	विवाह-विच्छेद विलेख	500 रुपये
5.	सेवा या भाड़े का करार	100 रुपये

6.	लिखतों का प्रतिलेख या दूसरी प्रति	100 रुपये
7.	किसी प्रतिफल के बिना सहमति विलेख	300 रुपये
8.	धारा 33 के अधीन मुख्तारनामा के अनुप्रमाणन के लिए	500 रुपये
9.	जहां मूल या प्राथमिक बंधक सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है, उत्तरभावी आश्वासन के रूप में संपार्श्विक या सहायक या अतिरिक्त या प्रतिस्थापित प्रतिभूति देने के लिए तात्पर्यित दस्तावेज	100 रुपये
10.	पूर्ववर्ती रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज को रद्द करने वाला दस्तावेज या किसी प्रतिफल के बिना पट्टे का अभ्यर्पण	200 रुपये
11.	किसी पूर्व रजिस्ट्रीकृत विलेख को संशोधित, उपांतरित या सही करने वाला दस्तावेज, किन्तु जहां कोई तात्विक परिवर्तन नहीं किये गये हैं	200 रुपये
12.	किसी अन्य विलेख, जो पूर्व में रजिस्ट्रीकृत किया गया है, के लेखे प्रतिफल के संदाय की प्राप्ति अभिस्वीकृत करने वाला कोई पृथक् विलेख	100 रुपये
13.	हक विलेख के निक्षेप के पुन:हस्तान्तरण की लिखत	500 रुपये
14.	बन्धक की गयी संपत्ति के पुन:हस्तान्तरण की लिखत	500 रुपये
टिप्पण: किसी अन्य दस्तावेज, जो इस सारणी के किसी अन्य अनुच्छेद के अधीन नहीं आता है, पांच सौ रुपये की रजिस्ट्रीकरण फीस उद्गृहीत की जायेगी।		

अनुच्छेद-4

अन्य फीसें

1.	वसीयत अंतर्विष्ट करने वाले सीलबंद लिफाफे के निक्षेप के लिए	100 रुपये
2.	वसीयत अंतर्विष्ट करने वाले सीलबंद लिफाफे को खोलने या प्रत्याहरण के लिए	100 रुपये
3.	इलैक्ट्रानिक रजिस्ट्रीकरण प्रणाली से रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज की डिजीटल रूप से हस्ताक्षरित प्रति डाउनलोड करने के लिए	100 रुपये
4.	नक्शे की प्रमाणित प्रति की मंजूरी के लिए या इलैक्ट्रानिक रजिस्ट्रीकरण प्रणाली से कम्प्यूटर जनित नक्शा डाउनलोड करने के लिए	100 रुपये
5.	दस्तावेज की प्रमाणित प्रति मंजूर करने के लिए	100 रुपये

6.	दस्तावेज की अभिरक्षा के लिए जो उस तारीख से, जिसको यह पृष्ठांकित, रजिस्ट्रीकृत या इसके रजिस्ट्रीकरण से इन्कार किया गया है, एक मास के लिए अदावाकृत रहता है	अधिकतम 1000 रुपये के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक मास के लिए या प्रथम मास के दौरान जिसमें दस्तावेज अदावाकृत रहता है, के भाग के लिए 100 रुपये
7.	दस्तावेज, जो रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया है या रजिस्ट्रीकृत किया गया है, की प्रति की अभिरक्षा के लिए, जब ऐसी प्रति किसी व्यक्ति के आवेदन पर रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में तैयार की गयी है और उस तारीख से, जिसकी प्रति आवेदक को प्रदाय करने हेतु तैयार की गयी थी, एक मास के लिए अदावाकृत रहती है	अधिकतम 500 रुपये के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक मास के लिए या प्रथम मास के दौरान जिसमें दस्तावेज अदावाकृत रहता है, के भाग के लिए 50 रुपये
8.	डाक द्वारा रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज की वापसी के लिए,-	
	(क) एकल दस्तावेज के लिए	300 रुपये
	(ख) उसी रजिस्ट्रीकृत लिफाफे में प्रत्येक अतिरिक्त दस्तावेज वापस किये जाने के लिए	100 रुपये
9.	रजिस्ट्रार द्वारा किसी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए अतिरिक्त फीस	सामान्य फीस के अतिरिक्त 200 रुपये

अनुच्छेद-5

उपस्थिति और कमीशन के लिए फीस

1.	धारा 31, 33 या 38 के अधीन प्राइवेट निवास स्थान या जेल पर प्रत्येक उपस्थिति के लिए या धारा 33 या 38 के अधीन कमीशन जारी करने के लिए फीस,-	
	(क) यदि व्यक्ति जेल में है	50 रुपये
	(ख) यदि व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित होने के लिए शारीरिक रूप से असमर्थ है	100 रुपये
	(ग) अन्यथा	1000 रुपये
टिप्पण: इस अनुच्छेद में उल्लिखित फीस साधारण रजिस्ट्रीकरण फीस के अतिरिक्त प्रभारित की जायेगी।		

अनुच्छेद-6

विलंब से प्रस्तुतीकरण या उपसंजाति के लिए फीस

1.	धारा 25 के अधीन विलंब से प्रस्तुतीकरण या धारा 34 के अधीन विलंब से उपसंजाति के लिए फीस,	

	नीचे दिये गये मापमान के अनुसार विनियमित की जायेगी,-	
	(क) जहां विलंब एक मास से अधिक नहीं है	समुचित रजिस्ट्रीकरण फीस की रकम के 10 प्रतिशत का जुर्माना
	(ख) जहां विलंब एक मास से अधिक है किन्तु दो मास से अधिक नहीं है	समुचित रजिस्ट्रीकरण फीस की रकम के 20 प्रतिशत का जुर्माना
	(ग) जहां विलंब दो मास से अधिक है किन्तु तीन मास से अधिक नहीं है	समुचित रजिस्ट्रीकरण फीस की रकम के 30 प्रतिशत का जुर्माना
	(घ) जहां विलंब तीन मास से अधिक है किन्तु चार मास से अधिक नहीं है	समुचित रजिस्ट्रीकरण फीस की रकम के 50 प्रतिशत का जुर्माना
टिप्पण:(i) धारा 23 के अधीन समय की संगणना करते समय वह दिन, जिसको दस्तावेज निष्पादित किया गया था या वह दिन जिसको न्यायालय की डिक्री या आदेश किया गया था, या यथास्थिति, अंतिम किया गया था, अपवर्जित किया जाएगा। (ii) जुर्माना, उचित रजिस्ट्रीकरण फीस के अतिरिक्त होगा।		

अनुच्छेद-7
तलाशी और निरीक्षण के लिए फीस

1.	(क) प्रत्येक प्रविष्टि या दस्तावेज के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की गयी तलाशी	प्रत्येक वर्ष के लिए 50 रुपये
	(ख) प्रत्येक परिभाषित समय स्लॉट के लिए इलैक्ट्रानिक रूप से की गयी तलाशी	प्रत्येक स्लॉट के लिए 50 रुपये
	(ग) प्रत्येक प्रविष्टि या दस्तावेज के लिए किसी व्यक्ति द्वारा किया गया निरीक्षण	प्रत्येक वर्ष के लिए 50 रुपये
	(घ) दस्तावेज की प्रति बनाना और स्केनिंग करना	प्रति दस्तावेज 300 रुपये
2.	स्थल निरीक्षण,-	
	(क) जब स्थल निरीक्षण उप-रजिस्ट्रार या महानिरीक्षक, रजिस्ट्रीकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य सरकारी कर्मचारी द्वारा किया गया है	प्रति दस्तावेज 100 रुपये
	(ख) जब स्थल निरीक्षण, पैनल किये गये स्थल निरीक्षक द्वारा किया गया है,-	
	(i) जहां संनिर्माण के बिना संपत्ति का मूल्य 50 लाख रुपये तक है	प्रति दस्तावेज 500 रुपये
	(ii) जहां संनिर्माण के साथ संपत्ति का मूल्य 50 लाख रुपये तक है	प्रति दस्तावेज 1000 रुपये

	(iii) जहां संनिर्माण के बिना संपत्ति का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक किन्तु 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है	प्रति दस्तावेज 1500 रुपये
	(iv) जहां संनिर्माण के साथ संपत्ति का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक किन्तु 10 करोड़ रूपये से अधिक नहीं है	प्रति दस्तावेज 2000 रुपये
	(v) जहां संनिर्माण के बिना संपत्ति का मूल्य 10 करोड़ रुपये से अधिक है	प्रति दस्तावेज 2500 रुपये
	(vi) जहां संनिर्माण के साथ संपत्ति का मूल्य 10 करोड़ रुपये से अधिक है	प्रति दस्तावेज 3000 रुपये
टिप्पण: जहां स्थल निरीक्षण विहित समय सीमा के भीतर नहीं किया जाता है, पैनल में रखे गये स्थल निरीक्षक को संदेय फीस, प्रतिदिन के विलम्ब के लिए फीस का 10 प्रतिशत काट कर संदत्त की जायेगी।		

अनुच्छेद-8

आवेदनों के लिए फीस और आदेशिकाओं का जारी किया जाना

1.	आवेदन जो विधि द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को लिखित में किये जाने अपेक्षित हैं	राजस्व अधिकारियों को आवेदनों के लिए राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 के अधीन संदेय फीस के समान
2.	रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा जारी की गयी आदेशिकाएं	सिविल न्यायालयों द्वारा आदेशिकाएं जारी करने के लिए राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 के अधीन संदेय फीस के समान

अनुच्छेद-9

प्रकीर्ण फीस

1.	(क) दस्तावेज को रजिस्टर करने से इन्कार करने वाले उप-रजिस्ट्रार के आदेश के विरुद्ध धारा 72 के अधीन अपील या धारा 73 के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने पर	200 रुपये
	(ख) जब मुख्तारनामा जिले में सामान्यत: अप्रयुक्त भाषा में लिखा हुआ है तो रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किये गये दस्तावेज के साथ या उसके संबंध में अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये मुख्तारनामा का अनुवाद फाईल करने के लिए	200 रुपये

	(ग) धारा 25 और 34 के अधीन उप-रजिस्ट्रार को किये गये प्रत्येक आवेदन के लिए	100 रुपये
	(घ) निष्पादकों और साक्षियों की उपसंजाति को प्रवर्तित करवाने के लिए धारा 36 के अधीन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को किये गये प्रत्येक आवेदन के लिए	100 रुपये
	(ड़) रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत किये जाने से इन्कार की गयी और सुरक्षित अभिरक्षा के लिए रजिस्ट्रार के कार्यालय को पारेषित की गयी वसीयत को लौटाने हेतु प्रत्येक आवेदन के लिए	100 रुपये
	(च) धारा 25 के अधीन उद्गृहीत जुर्माने के परिहार या प्रतिदाय के दावे के प्रत्येक आवेदन के लिए	100 रुपये
	(छ) विशेष अत्यावश्यकता के आधार पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उसके कार्यालय में अवकाश पर रजिस्ट्रीकरण के लिए दस्तावेज स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत किये गये प्रत्येक आवेदन के लिए	500 रुपये
	(ज) विशेष अत्यावश्यकता के आधार पर अवकाश पर धारा 42 के अधीन जमा कराने के लिए तात्पर्यित वसीयत अंतर्विष्ट करने वाला सीलबंद लिफाफा स्वीकार करने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत किये गये प्रत्येक आवेदन के लिए	500 रुपये
	(झ) विशेष अत्यावश्यकता के आधार पर अवकाश पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को केवल मुख्तारनामा के अनुप्रमाणन या अनुप्रमाणन और रजिस्ट्रीकरण के लिए उसके कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन के लिए	500 रुपये
	(ञ) व्यक्ति, जिसके पक्ष में रसीद तैयार की गयी है, को दस्तावेज लौटाने के लिए आपत्ति करते हुए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत की गयी प्रत्येक याचिका के लिए	100 रुपये
	(ट) दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के विरुद्ध अभ्यापत्ति करते हुए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत की गयी प्रत्येक याचिका के लिए:	100 रुपये

	परन्तु यदि एक याचिका में एक से अधिक दस्तावेज के विरुद्ध अभ्यापत्ति की गयी है, याचिका के लिए संदेय फीस याचिका में विनिर्दिष्ट ऐसे प्रत्येक दस्तावेज के लिए 50 रुपये की दर पर संगणित की जायेगी और यदि ऐसे दस्तावेजों की संख्या याचिका में विनिर्दिष्ट नहीं है, ऐसी याचिका के लिए 100 रुपये की फीस उद्गृहीत की जायेगी।	
	(ठ) रजिस्ट्रीकरण के लिए दस्तावेज को प्रत्याह्वत करने के लिए या दस्तावेज को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए सम्पूर्ण या भागत: इन्कार करने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत की गयी प्रत्येक याचिका के लिए	100 रुपये
	(ड़) अनुपूरक पुस्तक सं. 1 में दस्तावेज को फाईल करने के लिए	100 रुपये

अनुच्छेद-10

छूट

1.	सारणी के अनुच्छेद 1 से 9 के अधीन प्रतियां जारी करने के लिए उद्गगृहीत फीस निम्नलिखित के संबंध में प्रभार्य नहीं होगी:	
	(क) सरकार के द्वारा, या पक्ष में निष्पादित दस्तावेज जिन पर राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 3 के परन्तुक (i) के अधीन ऐसी कोई स्टाम्प ड्यूटी उद्ग्रहणीय नहीं है।	
	(ख) पूर्त प्रयोजन के लिए राज्य सरकार के पक्ष में जंगम या स्थावर संपत्ति के न्यास सृजित करने वाली विलेखों के अनुबंध।	
	(ग) सरकार के सेवकों, जो सद्भाविक लोक प्रयोजनों के लिए प्रविष्टियों या दस्तावेजों की प्रतियों की अपेक्षा करते हैं, को फीस के संदाय से छूट दी जाती है।	
	(घ) सरकार के सेवकों, जो सद्भाविक लोक प्रयोजनों के लिए मानचित्रों की प्रतियों की अपेक्षा करते हैं, को फीस के संदाय से छूट दी जाती है।	

	(ड़) सद्भाविक लोक प्रयोजनों के लिए प्रविष्टियों या दस्तावेजों की प्रतियों या निरीक्षण या रजिस्टरों की तलाशी के लिए सरकार के किसी सेवक द्वारा किये गये आवेदन पर कोई न्यायालय फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।	
	(च) उपर्युक्त खण्ड (क) से (ड़) में उपबंधित छूटों के अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा जारी किसी विशिष्ट अधिसूचना द्वारा मंजूर की गयी रजिस्ट्रीकरण फीस या किन्हीं विविध फीसों में परिहार या घटाना तब तक प्रभावी रहेगा जब तक ऐसी अधिसूचना संशोधित या प्रत्याहृत या यथास्थिति, पर्यवसित नही की जाती है	

[प.4(2)वित्त/कर/2024-68]
राज्यपाल के आदेश से,

(नम्रता वृष्णि)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 08, 2024

एस.ओ.538 .-राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) की धारा 174 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, कर की रिबेट और परादेय मांगों और विवादित रकम के निपटान के लिए निम्नलिखित **"एमनेस्टी स्कीम-2024"**, जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, इसके द्वारा अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रवर्तन कालावधि.- (1) इस स्कीम का नाम **एमनेस्टी स्कीम-2024** है।
(2) यह स्कीम तुरंत प्रवृत्त होगी और 31.07.2024 तक प्रवृत्त रहेगी।

2. लागू होना.- भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 54 में सम्मिलित माल के संबंध में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 से संबंधित परादेय मांग या विवादित रकम के सिवाय, यह स्कीम ऐसे समस्त व्यवहारियों या व्यक्तियों पर लागू होगी जिनके विरुद्ध 30.06.2017 तक की कालावधि के संबंध में, किसी अधिनियम के अधीन परादेय मांग या विवादित रकम हैं।

3. परिभाषाएं.- (1) इस स्कीम में, जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से निम्नलिखित में से कोई अधिनियम अभिप्रेत है :-

(i) राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 29);

(ii) राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (1995 का अधिनियम सं. 22);

(iii) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 74);

(iv) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4);

(v) राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 13);

(vi) राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटर यानों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम सं. 14);

(vii) राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 24);

(viii) राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का अधिनियम सं. 9); और

(ix) राजस्थान विलासों (तम्बाकू और उसके उत्पाद) पर कर अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 11);

(ख) "आवेदक" से कोई व्यवहारी या व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने के लिए अपनी रजामंदी सूचित करता है;

(ग) "निर्धारण प्राधिकारी" से अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी या प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) "व्यवहारी" से अधिनियम के अधीन यथापरिभाषित कोई व्यवहारी अभिप्रेत है;

(ड़) "घोषणा प्ररूप" से कर की रियायती दर पर माल के विक्रय या क्रय या कर से छूट के लिए अधिनियम के अधीन विहित कानूनी प्ररूप या प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(च) "मांग और संग्रहण रजिस्टर (डीसीआर)" से या तो विभागीय पोर्टल पर या भौतिक प्ररूप में वार्ड स्तर पर किसी निर्धारण से संबंधित परादेय मांग (मांगों) की प्रविष्टियों के प्ररूप में, अन्तर्विष्ट ब्यौरे का रजिस्टर अभिप्रेत है;

(छ) "विभाग" से वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान अभिप्रेत है;

(ज) "अंतर-कर" से अधिनियम के अधीन राज्य में लागू कर की पूर्ण दर और रियायती दर या छूट, जो घोषणा प्ररूप के प्रस्तुत किये जाने पर लागू है, के मध्य अंतर अभिप्रेत है;

(झ) "विवादित रकम" से कोई कर, ब्याज, फीस या शास्ति अभिप्रेत है जिसके लिए कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है या जिसके विरुद्ध कोई अपील, पुनरीक्षण, रिट याचिका या विशेष अनुमति याचिका लंबित या अनुध्यात है और इसमें वे मामले भी सम्मिलित हैं जो किसी प्राधिकारी द्वारा रिमांड किये गये है;

(ञ) "अंतिम रकम" से परादेय मांग की वह रकम या विवादित रकम अभिप्रेत है जो समायोजन/परिशुद्धि/पुनर्निर्धारण इत्यादि, यदि कोई हो, के पश्चात् निर्धारण प्राधिकारी ने अवधारित की है;

(ट) "परादेय मांग" से अधिनियम से संबंधित कोई मांग, जो मांग और संग्रहण रजिस्टर में लंबित है, अभिप्रेत है; और

(ठ) "कर" में प्रशमन रकम या कर के बदले में एकमुश्त राशि और छूट फीस सम्मिलित है।

(2) इस स्कीम में प्रयुक्त किये गये किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जैसा उन्हें उस अधिनियम में समनुदेशित किया गया है जिससे परादेय मांग या विवादित रकम संबंधित है।

4. इस स्कीम के अधीन फायदे.- कर की रिबेट और ब्याज, शास्ति या फीस का अधित्यजन नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में यथावर्णित परादेय मांग या विवादित रकम के प्रवर्ग के लिए स्तम्भ संख्यांक 3 में यथावर्णित शर्तों और इस स्कीम के खण्ड 5 में वर्णित शर्तों के पूर्ण किये जाने पर स्तम्भ संख्यांक 4 में यथावर्णित सीमा तक होगा:-

सारणी

कर की रिबेट और/या ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस के अधित्यजन के लिए

क्र. सं.	**परादेय मांग या विवादित रकम का प्रवर्ग**	**शर्तें**	**कर की रिबेट और/या ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस के अधित्यजन की सीमा**
1	2	3	4
1.	परादेय मांग, जो घोषणा प्ररूपों से संबंधित है।	(क) आवेदक ने अन्तरराज्यिक विक्रय के सबूत के लिए वचनबंध के साथ निम्नलिखित सबूत प्रस्तुत कर दिये हैं:- (i) अन्तरराज्यिक विक्रय के बीजकों की प्रति सहित बीजकों के ब्यौरे; और (ii) उपर्युक्त बीजकों से संबंधित संदाय का सबूत।	इस स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ अंतर-कर, ब्याज, शास्ति और विलंब फीस, यदि कोई हो, की संपूर्ण रकम।
		(ख) उपर्युक्त खण्ड (क) में नहीं आने वाले मामलों में, आवेदक ने अंतर-कर का 10 प्रतिशत जमा करा दिया हो।	अंतर-कर की शेष रकम, इस स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ ब्याज, शास्ति और विलंब फीस, यदि कोई हो, की संपूर्ण रकम।

2.	परादेय मांग/विवादित रकम जो अनन्य रूप से ब्याज से संबंधित है और पच्चीस करोड़ रुपये से अधिक है।	आवेदक ने ब्याज का 20 प्रतिशत जमा करा दिया हो।	इस स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ ब्याज की शेष रकम।
3.	इस सारणी के क्रम संख्यांक 1 और 2 के अधीन नहीं आने वाली परादेय मांग या विवादित रकम।	आवेदक ने कर की रकम का 20 प्रतिशत जमा करा दिया हो।	कर की शेष रकम, यदि कोई हो, इस स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस, यदि कोई हो, की संपूर्ण रकम।

स्पष्टीकरण:

(1) जहां कोई व्यवहारी स्कीम की कालावधि के दौरान इस स्कीम के फायदों का उपभोग करने के लिए अपनी रजामंदी सूचित करता है और उस दिन से, जिसको निर्धारण प्राधिकारी इस स्कीम के अधीन संदत्त की जाने वाली अपेक्षित अंतिम रकम सूचित करता है, 31.07.2024 तक या दस दिन के भीतर, जो भी पश्चात्वर्ती हो, अपेक्षित अंतिम रकम जमा करा देता है, वह स्कीम में उपलब्ध फायदों का पात्र होगा। यदि, व्यवहारी उपर्युक्त विनिर्दिष्ट समय में अंतिम रकम जमा करवाने में असफल रहता है, तो वह इस स्कीम के अधीन किसी फायदे के लिए पात्र नहीं होगा। तथापि, आयुक्त, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक को नियत समय में अपेक्षित रकम का संदाय करने से निवारित किये जाने के समुचित कारण थे, ऐसे विलंब को माफ कर सकेगा और आवेदक को इस स्कीम के अधीन फायदों का उपभोग करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) इस स्कीम के जारी किये जाने से पूर्व, अपील फाइल किये जाने के लिए जमा की गयी किसी रकम को सम्मिलित करते हुए, जहां कोई रकम मांग के विरुद्ध, उसके सृजन के पश्चात्, जमा की गयी है और यदि अतिशेष परादेय मांग/विवादित रकम के लिए विकल्प प्रस्तुत किया जाता है, वहां पूर्व में जमा रकम को, यदि इस स्कीम के जारी किये जाने से पूर्व, मांग और संग्रहण रजिस्टर (डी.सी.आर.) में समायोजित नहीं किया गया है और यदि चालान में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है, तो प्रथमतः यह कर दायित्व के विरुद्ध, तत्पश्चात् क्रमशः ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस के दायित्व के विरुद्ध समायोजित की जायेगी। तथापि, यदि किसी न्यायालय आदेश की अनुपालना में कोई रकम जमा की गयी है, तो वह तदनुसार समायोजित की जायेगी। इस स्कीम के फायदे केवल इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार परादेय मांग/विवादित रकम के अतिशेष के लिए ही उपलब्ध होंगे।

(3) जहां परादेय मांग या विवादित रकम पूर्ण रूप से ब्याज और/या शास्ति और/या विलम्ब फीस को समाविष्ट करती है, वहां ऐसे मामलों में कर की रकम जमा की गयी समझी जायेगी।

(4) परादेय मांग या विवादित रकम के प्रवर्ग के लिए जहां व्यवहारी या व्यक्ति से उपर्युक्त सारणी के अनुसार कोई रकम जमा कराने की अपेक्षा नहीं की जाये, वहां ऐसे मामलों में, वह निर्धारण प्राधिकारी को उसकी सूचना दे सकेगा। ऐसे मामलों में जहां व्यवहारी या व्यक्ति से कोई संसूचना प्राप्त नहीं होती है, वहां निर्धारण प्राधिकारी मामले को अपने स्तर पर निपटाने के लिए अग्रसर हो सकेगा।

(5) जहां 30.06.2017 तक की कालावधि से संबंधित परादेय मांग या विवादित रकम पूर्व में ही जमा करा दी गयी है और उससे संबंधित ब्याज के लिए मांग उद्ग्रहणीय है किन्तु उद्गृहीत नहीं की गयी है, वहां ऐसे मामलों में इस स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ संदेय ब्याज का उपर्युक्त सारणी के अनुसार अधित्यजन किया जायेगा।

(6) जहां मांग, जिसके लिए व्यवहारी या व्यक्ति इस स्कीम के अधीन विकल्प देने का आशय रखता है, से संबंधित समायोजन/परिशुद्धि/पुनर्निर्धारण के लिए कोई आवेदन संबंधित निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष लंबित है, तब ऐसे व्यवहारी या व्यक्ति से लिखित में संसूचना प्राप्त होने पर वह उसे प्राथमिकता के आधार पर निपटायेगा।

(7) विवादित रकम से संबंधित मामले, जिनके लिए मांग और संग्रहण रजिस्टर (डी.सी.आर.) में कोई मांग परादेय नहीं है, कर, ब्याज, विलम्ब फीस और/या शास्ति की रकम मूल निर्धारण/पुनर्निर्धारण आदेश या उक्त विवादित रकम के संबंध में जारी किये गये कारण बताओ नोटिस के अनुसार समझी जायेगी। ऐसे मामलों में संबंधित निर्धारण प्राधिकारी स्वयं के समक्ष लंबित कार्यवाही, यदि कोई हो, को प्रत्याहृत करेगा या नियत समय के भीतर उपर्युक्त सारणी के अनुसार विहित रकम के जमा किये जाने के पश्चात् किसी न्यायालय या कर बोर्ड या, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी के समक्ष लंबित मामले के प्रत्याहरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(8) जहां विभाग द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 67 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) या निरसित अधिनियम (अधिनियमों) के समान उपबंधों के अधीन अभियोजन वाद फाइल किया गया है और आवेदक ने इस स्कीम के अधीन अपेक्षित रकम निक्षिप्त करा दी है, वहां निर्धारण प्राधिकारी न्यायालय से मामला प्रत्याहृत करने के लिए अग्रसर होगा।

5. शर्तें.- इस स्कीम के फायदे निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने पर उपलब्ध होंगे, अर्थात्:-

(i) आवेदक ने उपर्युक्त सारणी के स्तम्भ संख्यांक 3 के अनुसार और उपर्युक्त खण्ड 4 के स्पष्टीकरण (1) के अनुसार अपेक्षित रकम जमा करा दी है;

(ii) आवेदक ने किसी न्यायालय या कर बोर्ड या, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी के समक्ष लंबित मामले, यदि कोई हो, के प्रत्याहरण के लिए वचनबंध इस स्कीम की प्रवर्तन कालावधि के भीतर प्रस्तुत कर दिया है; और

(iii) किसी वर्ष या किसी अधिनियम से संबंधित कोई प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं किया जायेगा यदि वह इस स्कीम के अधीन कर की रिबेट और/या अधित्यजन के कारण किसी भी प्रकार संबंधित है।

6. फायदा प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया.- (1) इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए आवेदक संबंधित निर्धारण प्राधिकारी को इस संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग की वेबसाइट **www.rajtax.gov.in** पर अपनी रजामंदी इलैक्ट्रानिक रूप से सूचित करेगा।

(2) पृथक् अधिनियमों के अधीन साथ ही पृथक् निर्धारण प्राधिकारियों के समक्ष परादेय मांग/विवादित रकम के लिए रजामंदी की पृथक्-पृथक् संसूचना दी जायेगी।

(3) इस स्कीम के अधीन फायदों का विकल्प देने वाले किसी व्यवहारी या व्यक्ति के मामले में निर्धारण प्राधिकारी, व्यवहारी या व्यक्ति के विरुद्ध लंबित मांग (मांगों) और विवादित रकम के ब्यौरे, इस स्कीम के अनुसरण में किये जाने वाले संदाय और प्रोद्भूत किये जाने वाले पारिणामिक फायदों सहित, इलैक्ट्रानिक रूप से सूचित करेगा।

(4) इस स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने के लिए ब्यौरेवार प्रक्रिया, स्पष्टीकरण और कठिनाइयों, यदि कोई हों, के निराकरण के लिए आदेश ऐसे होंगे जो आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान द्वारा अधिसूचित किये जायें।

(5) उपर्युक्त सारणी के क्रम संख्यांक 1 से 3 के अधीन परादेय मांग या विवादित रकम के प्रवर्गीकरण से संबंधित किसी विवाद के मामले में, आयुक्त, वाणिज्यिक कर का विनिश्चय अंतिम होगा।

7. एमनेस्टी स्कीम-2023 के अधीन लंबित मामलों के लिए उपबंध.- (1) जहां व्यवहारी ने एमनेस्टी स्कीम-2023 के अधीन किस्तों में संदाय के विकल्प का चयन किया है और कोई किस्त संदत्त की है, ऐसे मामले 2023 की उक्त स्कीम के उपबंधों द्वारा शासित होंगे।

(2) उपर्युक्त उप-खण्ड (1) के अधीन नहीं आने वाले ऐसे समस्त मामलों में, जिनमें इस स्कीम के जारी किये जाने से पूर्व एमनेस्टी स्कीम-2023 के अधीन कोई टास्क लंबित है, एमनेस्टी स्कीम-2023 की उक्त स्कीम के अधीन दी गयी रजामंदी, इस स्कीम के अधीन दी गयी समझी जायेगी और संदत्त की जाने वाली अपेक्षित रकम इस स्कीम की सारणी के अनुसार व्यवहारी को नये सिरे से संसूचित की जायेगी। एमनेस्टी स्कीम-2023 के अधीन निक्षिप्त रकम, यदि कोई हो, इस स्कीम की सारणी के अनुसार संदत्त की जाने वाली अपेक्षित रकम के विरुद्ध समायोजित की जायेगी।

(3) एमनेस्टी स्कीम-2023 के अधीन पूर्व में किये गये किसी संदाय का प्रतिदाय इस स्कीम के अधीन कर की रिबेट और/या अधित्यजन के कारण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

[प.12(7)वित्त/कर/2024-72]
राज्यपाल के आदेश से,

(नम्रता वृष्णि)
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 08, 2024

एस.ओ.539 .-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा,-

(i) नष्ट हो चुके यानों पर संदेय मोटर यान कर, विशेष सड़क कर, अधिभार, शास्ति और ब्याज, यदि कोई हो, की छूट देती है, यदि ऐसे यान के नष्ट होने की तारीख तक का संदेय मोटर यान कर, विशेष सड़क कर और अधिभार 31.07.2024 को या उससे पूर्व निक्षिप्त करा दिया जाता है;

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) के अधीन नहीं आने वाले यानों पर 31.03.2023 तक के मोटर यान कर, विशेष सड़क कर, एकबारीय कर, एकमुश्त कर और अधिभार पर संदेय शास्ति और ब्याज की छूट देती है, यदि,-

(क) कोई शोध्य मोटर यान कर, विशेष सड़क कर, एक बारीय कर, एकमुश्त कर और अधिभार 31.07.2024 को या उससे पूर्व निक्षिप्त करा दिया जाता है; और

(ख) 31.03.2023 के पश्चात् संदेय मोटर यान कर, एक बारीय कर और अधिभार पर शोध्य शास्ति और ब्याज 31.07.2024 को या उससे पूर्व निक्षिप्त करा दिया जाता है।

उपर्युक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी, अर्थात्:-

(i) यान का स्वामी छूट के लिए कराधान अधिकारी के समक्ष आवेदन करेगा।

(ii) अधिभार, शास्ति या ब्याज, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए मोटर यान कर, विशेष सड़क कर की पूर्व में संदत्त रकम का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

(iii) छूट से संबंधित विवादों के मामले में परिवहन आयुक्त का विनिश्चय अंतिम होगा।

स्पष्टीकरण: यान के नष्ट होने की तारीख परिवहन आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अवधारित की जायेगी।

[प.6(179)परि/कर/मु./2024-25/1]
राज्यपाल के आदेश से,

(सोहन लाल मीना)
उप शासन सचिव

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 08, 2024

एस.ओ.540 .-मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 200 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, खान विभाग के ई-

रवन्ना के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर 31.01.2024 को या उससे पूर्व उक्त अधिनियम की धारा 113 की उप-धारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन कारित पाये गये अपराधों का शमन करने के लिए, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ 3 में यथाविनिर्दिष्ट शमन रकम के लिए, इसके द्वारा जिला परिवहन अधिकारी को प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारणी

क्र. सं.	**इस विभाग की अधिसूचना सं. प.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट/1/1 दिनांक 24.02.2021 के आधार पर 31.01.2024 तक यान के लिए संदेय कुल शमन रकम (रु. में)**	**31.01.2024 तक कारित अपराध के लिए यान के लिए संदेय शमन रकम**
1	2	3
1.	1 लाख तक	अधिसूचना सं. प.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट/1/1 दिनांक 24.02.2021 के अधीन संदेय रकम का 25 प्रतिशत
2.	1 लाख से अधिक और 10 लाख तक	25,000/- रु + अधिसूचना सं. प.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट/1/1 दिनांक 24.02.2021 के अधीन संदेय 1 लाख से अधिक की रकम का 10 प्रतिशत
3.	10 लाख से अधिक और 25 लाख तक	1,15,000/- रु + अधिसूचना सं. प.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट/1/1 दिनांक 24.02.2021 के अधीन संदेय 10 लाख से अधिक की रकम का 8 प्रतिशत
4.	25 लाख से अधिक और 50 लाख तक	2,35,000/- रु + अधिसूचना सं. प.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट/1/1 दिनांक 24.02.2021 के अधीन संदेय 25 लाख से अधिक की रकम का 6 प्रतिशत
5.	50 लाख से अधिक और 75 लाख तक	3,85,000/- रु + अधिसूचना सं. प.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट/1/1 दिनांक 24.02.2021 के अधीन संदेय 50 लाख से अधिक की रकम का 4 प्रतिशत
6.	75 लाख से अधिक और 1 करोड़ तक	4,85,000/- रु + अधिसूचना सं. प.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट/1/1 दिनांक 24.02.2021 के अधीन संदेय 75 लाख से अधिक की रकम का 2 प्रतिशत
7.	1 करोड़ से अधिक	5,35,000/- रु + अधिसूचना सं. प.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट/1/1 दिनांक 24.02.2021 के अधीन संदेय 1 करोड़ से अधिक की रकम का 1 प्रतिशत

परन्तु,-

(i) यान के लिए शमन रकम, यान के बीमा प्रमाणपत्र में दिये गये बीमित मूल्य के आधे से अधिक नहीं होगी।

(ii) कृषि ट्रैक्टर-ट्राली के लिए शमन रकम 7,500/- रु. से अधिक नहीं होगी।

यह अधिसूचना 31.07.2024 तक प्रवृत्त रहेगी।

[प.6(179)परि/कर/मु./2024-25/2]
राज्यपाल के आदेश से,

(सोहन लाल मीना)
उप शासन सचिव

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 08, 2024

एस.ओ.541 .-केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 172 के उप-नियम (2) के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 211क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा विहित करती है कि 01.04.2024 से चालन अनुज्ञप्ति और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21) के उपबंधों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से या ई-हस्ताक्षर के माध्यम से केवल इलैक्ट्रानिक रूप से जारी किये जायेंगे।

[प.6(179)परि/कर/मु./2024-25/3]
राज्यपाल के आदेश से,

(सोहन लाल मीना)
उप शासन सचिव

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 08, 2024

एस.ओ.542 .-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, क्रियाशील यान की समाप्ति पर मोटर यान कर, विशेष सड़क कर, एकबारीय कर, एकमुश्त कर और अधिभार पर

संदेय शास्ति और ब्याज के संदाय से निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, इसके द्वारा छूट देती है, अर्थात्:-

(i) यदि ऐसा यान 31.03.2025 तक रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा (र.या.स्क्रे.सु.) पर स्क्रेपिंग के लिए जमा करा दिया जाता है और शोध्य मोटर यान कर, विशेष सड़क कर, एकबारीय कर, एकमुश्त कर और अधिभार रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा (र.या.स्क्रे.सु.) पर यान के जमा किये जाने से पूर्व निक्षिप्त करा दिया जाता है;

(ii) पूर्व में संदत्त मोटर यान कर, विशेष सड़क कर और अधिभार, शास्ति या ब्याज, यदि कोई हो, की रकम का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा; और

(iii) यदि ऐसी छूट के संबंध में कोई विवाद उद्भूत होता है, परिवहन आयुक्त का विनिश्चय अंतिम होगा।

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए ''क्रियाशील यान की समाप्ति'' और ''रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा'' का वही अर्थ होगा जो मोटर यान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 में यथा परिभाषित है।

[प.6(179)परि/कर/मु./2024-25/4]
राज्यपाल के आदेश से,

(सोहन लाल मीना)
उप शासन सचिव

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

Jaipur, February 08, 2024

In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Finance Department, Tax Division Notification No. F.4(2)FD/ Tax/2024-63 to 68, No.F.12(7)FD/Tax/2024-72 and Transport & Road Safety Department Notification No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2024-25/1 to 4 dated February 08, 2024.

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 08, 2024

S.O.532 .-In exercise of the powers conferred by section 86 and 87 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Stamp Rules, 2004, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Stamp (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 58.- In sub-rule (3) of rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, for the existing expression "in the month of March of the preceding Financial Year or in any subsequent month", the expression "during the months of January to March of the preceding Financial Year or upto any subsequent month" shall be substituted.

[No. F.4(2)FD/Tax/2024-63]
By order of the Governor,

(Namrata Vrishni)
Joint Secretary to the Government.

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 08, 2024

S.O.533 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 69 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), the State Government hereby approves and publishes the following rules further to amend the Rajasthan Registration Rules, 1955,

made by the Inspector General of Registration, Rajasthan in exercise of the powers conferred on him by sub-section (1) of the section 69 of the said Act, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Registration (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Deletion of Part XIII.- The existing Part XIII of Volume-I of the Rajasthan Registration Rules, 1955 shall be deleted.

[No. F.4(2)FD/Tax/2024-64]
By order of the Governor,

(Namrata Vrishni)
Joint Secretary to the Government.

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 08, 2024

S.O.534 .-In exercise of the powers conferred by sections 18 and 22 of the Rajasthan Finance Act, 2020 (Act No. 9 of 2020), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts,-

(i) land tax payable on all classes of lands with effect from 08.02.2024; and

(ii) land tax payable prior to 08.02.2024 on all classes of lands along with penalty and interest payable thereon, subject to condition that 10% of the original amount of the land tax payable by the land holder is deposited upto 31.07.2024:

Provided that the land tax already paid or deposited shall not be refunded.

[No.F.4(2)FD/Tax/2024-65]
By order of the Governor,

(Namrata Vrishni)
Joint Secretary to the Government.

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 08, 2024

S.O.535 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.4(2)FD/Tax/2021-272 dated 24.02.2021, as amended from time to

time, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instruments specified in column number 2 of the table given below shall be reduced and charged at the rate as specified against each of them in column number 3 of the said table:-

Table

S.No.	Description of instrument	Stamp duty
1	2	3
1.	The lease deed/sale deed issued/executed under the Chief Minister's Jan Awas Yojana-2015 or Pradhan Mantri Awas Yojana for,- (i) dwelling units for Economically Weaker Section	0.5% of consideration amount
	(ii) dwelling units for Low Income Group	1% of consideration amount
2.	The lease deed issued/executed by the State Government, local authorities, public enterprises or any other Government bodies, in respect of land allotted or sold by them or land placed at the disposal of the Local Authorities under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956	at the rates specified under Article 33 of the Schedule of the Rajasthan Stamp Act, 1998 on the amount of consideration charged on account of allotment or sale or rupees 100/-, whichever is higher
3.	Any lease deed covered by serial numbers 1 and 2 above, submitted for registration after revalidation.	120% of the stamp duty payable on the original lease deed.

[No.F.4(2)FD/Tax/2024-66]
By order of the Governor,

(Namrata Vrishni)
Joint Secretary to the Government.

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 08, 2024

S.O.536 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and section 9-A of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that outstanding demand of stamp duty, interest and penalty shall be remitted in the category of cases decided by or pending before the Collector (Stamps), Rajasthan Tax Board or any other Courts as specified in column number 2 to the extent specified in column number 4 and 5, subject to the conditions specified in column number 3 of the table given below:-

Table

S. No.	Category of cases	Conditions	Remission	
			Stamp duty	Interest and Penalty
1	2	3	4	5
1.	Outstanding demand relating to cases registered on or before 01.04.2003	(i) If outstanding stamp duty is paid on or before 31.03.2024	60%	100%
		(ii) If outstanding stamp duty is paid on or before 31.07.2024	55%	100%
2.	Outstanding demand relating to cases registered after 01.04.2003 and on or before 31.03.2013	(i) If outstanding stamp duty is paid on or before 31.03.2024	50%	100%
		(ii) If outstanding stamp duty is paid on or before 31.07.2024	45%	100%
3.	Outstanding demand relating to cases registered on or after 01.04.2013 and on or before 31.03.2018	If outstanding stamp duty is paid on or before 31.03.2024	40%	100%
		If outstanding stamp duty is paid on or before 31.07.2024	35%	100%
4.	Outstanding demand relating to cases registered on or after 01.04.2018 and on or before 31.03.2023	(i) If outstanding stamp duty is paid on or before 31.03.2024	30%	100%
		(ii) If outstanding stamp duty is paid on or before 31.07.2024	25%	100%

Note: 1. The amount deposited under the section 65 of the said Act for filing revision before the Rajasthan Tax Board shall be adjusted towards the payment of stamp duty.
2. Stamp duty or any other amount already paid shall not be refunded.
3. The benefits under this notification shall be given subject to filing of undertaking before Collector (Stamps) concerned to withdraw the pending cases.

[No.F.4(2)FD/Tax/2024-67]
By order of the Governor,

(Namrata Vrishni)
Joint Secretary to the Government.

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION

Jaipur, February 08, 2024

S.O.537 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 78 and section 79 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908) and in supersession of all previous notifications issued in this regards, the State Government hereby prepares and publishes the following table of registration fees, late fees for presentation or appearances and other miscellaneous fees payable under the said Act, with immediate effect, namely:-

TABLE OF REGISTRATION FEES, LATE FEES AND OTHER MISCELLANEOUS FEES

S.No.	Nature of Documents and other Miscellaneous functions or Transactions	Fee (in Rs.)
	ARTICLE-I **Documents Chargeable with stamp duty at ad-valorem rate**	
1.	In respect of all documents for which stamp duty is payable on the value or consideration and for which registration fees is not specifically provided in this table.	1% of the value or consideration whichever is higher.
2.	An agreement to sale of immovable property or a power of attorney or any other agreement or document with or without possession executed in the course of conveyance, lease or mortgage etc. wherein stamp duty is charged ad-valorem.	1% of the value or consideration whichever is higher.
3.	The actual conveyance, lease or mortgage etc. executed in pursuance of documents mentioned in serial number 2 above, subsequently tendered for registration, provided that the registration of the previous documents has been proved to the satisfaction of the registering officer.	1% of the value or consideration whichever is higher but the registration fees already paid in serial number 2 shall be adjusted, subject to a minimum of rupees 1000/-
	ARTICLE-II **For Registration of Leases**	
1.	Leases for period upto 30 years	20% of the stamp duty paid
2.	Leases for period exceeding 30 years	1% of the value or consideration whichever is higher.
	ARTICLE-III **For Registration of the Documents Chargeable with fixed fees**	
1.	Will	200 rupees
2.	Authority to adopt or adoption deed	200 rupees
3.	General power of attorney or Special power of attorney (excluding those chargeable with ad-valorem stamp duty)	2000 rupees

4.	Deed of divorce	500 rupees
5.	Agreement of service or hire	100 rupees
6.	Counterparts or duplicates of instruments	100 rupees
7.	Consent deed without any consideration	300 rupees
8.	For attestation of power of attorney under section 33	500 rupees
9.	A document purporting to give collateral or auxiliary or additional or substituted security by way of further assurance, where the principal or primary mortgage has been duly registered	100 rupees
10.	A document cancelling any previously registered document, or a surrender of lease without any consideration	200 rupees
11.	A document amending, modifying or correcting any previously registered deed, but where no material alterations are made	200 rupees
12.	A separate deed acknowledging receipt of payment of consideration on account of another deed which has been previously registered	100 rupees
13.	An instrument of re-conveyance of deposit of title deed	500 rupees
14.	An instrument of re-conveyance of mortgaged property	500 rupees
Note: Registration fees of rupees five hundred shall be levied on any other document which cannot be brought under any other article of this table.		
ARTICLE-IV **Other Fees**		
1.	For deposit of a sealed cover containing a will	100 rupees
2.	For opening or withdrawal of sealed cover containing a will	100 rupees
3.	For downloading digitally signed copy of registered document from electronic registration system	100 rupees
4.	For granting certified copy of a map or for downloading computer generated map from electronic registration system	100 rupees
5.	For granting certified copy of a document	100 rupees
6.	For the custody of a document which has remained unclaimed for one month from the date on which it was endorsed, registered or registration refused	100 rupees for each month or a portion of a month after the first month during which the document is unclaimed, subject to a maximum of rupees 1000
7.	For the custody of a copy of a document which has been presented for registration or registered when such a copy has been prepared in the registration office on the application of any person and is unclaimed for one month from the date the copy was ready for delivery to the applicant	50 rupees for each month or a portion of a month after the first month during which the document unclaimed, subject to a maximum of rupees 500.

8.	For the return of registered document by post,-	
	(a) for a single document	300 rupees
	(b) for every additional document to be returned in the same registered cover	100 rupees
9.	Extra fees for registration of any document by Registrar	200 rupees in addition to the ordinary fees
ARTICLE-V **Fees for Attendance and Commission**		
1.	Fees for each attendance at a private residence or jail under section 31, 33 or 38 or for the issue of a commission under section 33 or 38,–	
	(a) if the person is in Jail	50 rupees
	(b) if the person is physically unable to attend the office	100 rupees
	(c) otherwise	1000 rupees
Note: The fee mentioned in this Article shall be charged in addition to the ordinary registration fee		
ARTICLE-VI **Fees for Late Presentation or appearance**		
1.	Fees for late presentation under section 25 or late appearance under section 34 shall be regulated by the scale given below,-	
	(a) where the delay does not exceed a month	a fine of 10% of the amount of the proper registration fee
	(b) where the delay exceeds one month, but does not exceed two months	a fine of 20% of the amount of the proper registration fee
	(c) where the delay exceeds two months, but does not exceed three months.	a fine of 30% of the amount of the proper registration fee
	(d) where the delay exceeds three months, but does not exceed four months	a fine of 50% of the amount of the proper registration fee
Note: (i) While calculating the time under section 23, the day on which the document is executed or the day on which the decree or order of the Court was made or become final, as the case may be, shall be excluded. (ii) The fine shall be in addition to proper registration fees.		
ARTICLE-VII **Fees for Search and Inspection**		
1.	(a) Search made by a Registering Officer for each entry or document	50 rupees for each year
	(b) Search made electronically for each defined time slot	50 rupees for each slot
	(c) An inspection by any person for each entry or document	50 rupees for each year
	(d) Copying and scanning the document	300/- per document

2.	Site Inspection,-	
	A. When the site inspection is done by the Sub-Registrar or any other Government employee authorised by Inspector General of Registration	100/- per document
	B. When the site inspection is done by empanelled site inspector,-	
	(i) where the value of the property is upto rupees 50 lac without construction	500/- per document
	(ii) where the value of the property is upto rupees 50 lac with construction	1000/- per document
	(iii) where the value of the property exceeds rupees 50 lac but does not exceed rupees 10 crore without construction	1500/- per document
	(iv) where the value of the property is more than rupees 50 lac but does not exceed rupees 10 crore with construction	2000/- per document
	(v) where the value of the property exceeds rupees 10 crore without construction	2500/- per document
	(vi) where the value of the property exceeds rupees 10 crore with construction	3000/- per document
Note:	Where site inspection is not done within prescribed time limit the fee payable to the empanelled site inspector shall be paid after deducting 10% of the fee for delay of each day.	
	ARTICLE-VIII **Fees for applications and issue of processes**	
1.	Applications which are required by law to be made in writing to Registering Officers	Same as the fee payable under the Rajasthan Court Fees and Suit Valuation Act, 1961 for applications to Revenue Officers
2.	Processes issued by Registering Officers	Same as the fee payable under the Rajasthan Court Fees and Suit Valuation Act, 1961 for the issue of processes by Civil Courts
	ARTICLE-IX **Miscellaneous Fees**	
1.	(a) on the presentation of appeal under section 72 or an application under section 73 against the order of a sub-registrar refusing to register a document	200 rupees
	(b) for filing a translation of a power-of-attorney produced by an agent with or in connection with a document presented for registration when the power of attorney is written in language not commonly used in the district	200 rupees
	(c) for each application made to sub-registrar under Section 25 and 34	100 rupees

	(d) for each application made to a registering officer under Section 36 for enforcing the appearance of executants and witnesses	100 rupees
	(e) for each application for the return of a will registered or refused to registered and transmitted to the Registrar's office for safe custody	100 rupees
	(f) for each application claiming remission or refund of the fine levied under Section 25	100 rupees
	(g) for each application presented to a registering officer to accept a document for registration at his office on a holiday on the ground of special urgency	500 rupees
	(h) for each application presented to registering officer to accept a sealed cover purporting to contain a will for deposit under section 42 on an holiday on the ground of special emergency	500 rupees
	(i) for each application presented to a registering officer to accept a power of attorney for attestation only or for attestation and registration at his office on a holiday on the ground of special emergency	500 rupees
	(j) for each petition presented to a registering officer objecting to the return of a document to a person in whose favour the receipt has been drawn up	100 rupees
	(k) for each petition presented to a registering officer protesting against the registration of a document: Provided that if protest is made against the registration of more than one document in a petition, the fee payable for the petition shall be calculated at the rate of rupees 50 for each of such documents specified in the petition and if the number of such documents is not specified in the petition, fee of rupees 100 shall be levied for such petition	100 rupees
	(l) for each petition presented to a registering officer for withdrawing a document for registration or for complete or partial refusal to register a document	100 rupees
	(m) for filing of document in Supplementary Book No. I	100 rupees
ARTICLE-X **Exemptions**		
1.	The fee leviable under Article I to IX of the table for issue of copies shall not be chargeable in respect of the following:	
	(a) Documents executed by, or in favour of Government on which as such no stamp duty is leviable under proviso (i) of section 3 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999). (b) Indentures of deeds creating trusts of movable or immovable property in favour of the State Government for a charitable purpose.	

	(c) Servants of the Government who require copies of entries or documents for bonafide public purposes are exempted from the payment of fees. (d) Servants of the Government who require copies of maps for bonafide public purposes are exempted from the payment of fees. (e) No court fee shall be charged on an application made by a servant of the Government for copies of entries or document or for the inspection or search of the registers required for a bonafide public purpose. (f) In addition to exemptions provided in clause (a) to (e) above, remission or reduction in registration fees or any miscellaneous fees granted by any specific notification issued by the State Government shall remain in force till such notification is not amended or withdrawn or expired, as case may be.	

[No.F.4(2)FD/Tax/2024-68]
By order of the Governor,

(Namrata Vrishni)
Joint Secretary to the Government.

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 08, 2024

S.O.538 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 174 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby notifies the following "Amnesty Scheme-2024", hereinafter referred to as the scheme, for rebate of tax and settlement of outstanding demands and disputed amounts, namely:-

1. Short title and operative period.- (1) This scheme may be called the Amnesty Scheme-2024.

(2) This scheme shall come into force with immediate effect and shall remain in force upto 31.07.2024.

2. Application.- This scheme shall be applicable to all dealers or persons having outstanding demands or disputed amounts under any Act in respect of period upto 30.06.2017, except outstanding demand or disputed amount pertaining to the Rajasthan Value

Added Tax Act, 2003 and the Central Sales Tax Act, 1956 in respect of goods included in the Entry 54 of the State List of the Seventh Schedule to the Constitution of India.

3. Definitions.- (1) In this scheme, unless the subject or context otherwise requires,-

(a) "Act" means any of the following Acts:-
  (i) The Rajasthan Sales Tax Act, 1954 (Act No. 29 of 1954);
  (ii) The Rajasthan Sales Tax Act, 1994 (Act No. 22 of 1995);
  (iii) The Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956);
  (iv) The Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003);
  (v) The Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999 (Act No. 13 of 1999);
  (vi) The Rajasthan Tax on Entry of Motor Vehicles into Local Areas Act, 1988 (Act No. 14 of 1988);
  (vii) The Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Act, 1957 (Act No. 24 of 1957);
  (viii) The Rajasthan Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1990 (Act No. 9 of 1996); and
  (ix) The Rajasthan Tax on Luxuries (Tobacco and its Products) Act, 1994 (Act No. 11 of 1994);

(b) "Applicant" means any dealer or person who conveys his willingness for availing benefit under this scheme;

(c) "Assessing Authority" means any officer or authority appointed under the Act;

(d) "Dealer" means any dealer as defined under the Act;

(e) "Declaration Form" means the statutory form or certificate prescribed under the Act for sale or purchase of goods at concessional rate of tax or exemption from tax;

(f) "Demand and Collection Register (DCR)" means the register containing the details, in the form of entries, of outstanding demand(s) pertaining to any assessment at the ward level either on departmental portal or in physical form;

(g) "Department" means the Commercial Taxes Department, Rajasthan;

(h) "Difference Tax" means difference between full rate of tax applicable in the State under the Act and concessional rate or exemption which is applicable on submission of declaration form;

(i) "Disputed Amount" means any tax, interest, fee or penalty for which any show cause notice has been issued or against which an appeal, revision, writ petition or special leave petition is pending or contemplated including that pertaining to cases which have been remanded by any authority;

(j) "Final amount" means the amount of outstanding demand or disputed amount which the assessing authority determines after adjustment/ rectification/ reassessment etc., if any;

(k) "Outstanding Demand" means any demand pertaining to the Act, which is pending in the Demand and Collection Register; and

(l) "Tax" shall include the composition amount or lump sum in lieu of tax and exemption fee.

(2) The words and expressions used in this scheme but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Act to which the outstanding demand or disputed amount pertains.

4. Benefits under this scheme.- The rebate of tax and waiver of interest, penalty or fee shall be to the extent as mentioned in column number 4 of the Table given below on fulfilment of conditions as mentioned in column number 3, for the category of outstanding demand or disputed amount as mentioned in column number 2 of the said table and the conditions mentioned in clause 5 of this scheme:-

Table

For Rebate of Tax and/or Waiver of Interest, Penalty and Late Fee

S.No.	Category of outstanding Demand or disputed amount	Conditions	Extent of Rebate of Tax and/or Waiver of Interest, Penalty and Late Fee
1	**2**	**3**	**4**
1.	Outstanding demand which relates to declaration forms.	(a) The applicant has submitted following proof for inter-state sale, alongwith an undertaking:- (i) details of invoices alongwith copy of invoices of inter-state sale; and (ii) proof of payment regarding above invoices.	Whole amount of difference tax, interest, penalty and late fee, if any, alongwith interest accrued upto the date of order under this scheme.
		(b) In cases not covered under clause (a) above, the applicant has deposited 10% of the amount of difference tax.	Remaining amount of difference tax, whole amount of interest, penalty and late fee, if any, alongwith interest accrued upto the date of order under this scheme.
2.	Outstanding demand/ disputed amount which relates exclusively to	The applicant has deposited 20% of interest.	Remaining amount of interest alongwith interest accrued upto

	interest and is more than rupees twenty five crore.		the date of order under this scheme.
3.	Outstanding demand or disputed amount not covered under serial number 1 and 2 of this table.	The applicant has deposited 20% of the amount of tax.	Remaining amount of tax, if any, whole amount of interest, penalty and late fee, if any, alongwith interest accrued upto the date of order under this scheme.

Explanation:

(1) Where any dealer conveys his willingness for availing benefit of this scheme and deposits the required amount upto 31.07.2024 or within ten days from the day on which the assessing authority conveys the final amount required to be paid under this scheme, whichever is later, he shall be eligible for the benefits available in the scheme. In case, the dealer fails to deposit the final amount in the time specified above, he shall not be eligible for any benefit under this scheme. However, the Commissioner may, if he is satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from paying the required amount in the stipulated time, condone such delay and may allow the applicant to avail the benefits under this scheme.

(2) Where any amount has been deposited prior to issuance of this scheme against the demand after its creation, including the amount deposited for filing of an appeal, and if option is being submitted for the balance outstanding demand/ disputed amount, the amount already deposited, if not adjusted in the Demand and Collection Register (DCR) prior to the issuance of this scheme and if not specifically mentioned in the challan, shall be adjusted firstly against the liability of tax, then it shall be adjusted against the liability of interest, penalty and late fee, respectively. However, if any amount has been deposited in compliance of any court order, it shall be adjusted accordingly. The benefits of this scheme shall be available only for the balance of outstanding demand/ disputed amount as per the provisions of this scheme.

(3) Where the outstanding demand or disputed amount comprises entirely of interest and/ or penalty and/ or late fee, in such cases, the amount of tax shall be deemed to have been deposited.

(4) For category of outstanding demand or disputed amount where the dealer or person is not required to deposit any amount as per the Table above, in such cases, he may convey the same to the Assessing Authority. In cases where no intimation is received from the dealer or person, the assessing authority may proceed to dispose the case at his own level.

(5) Where the outstanding demand or disputed amount pertaining to the period upto 30.06.2017 has already been deposited and demand for interest pertaining to the same is leviable but not levied, in such cases the interest payable alongwith the interest accrued upto the date of order under this scheme shall be waived to the extent as per the Table above.

(6) Where any application for adjustment/ rectification/ reassessment etc. related to the demand, for which the dealer or person intends to opt under this scheme is pending before the assessing authority concerned, then on intimation in writing from dealer or person, he shall dispose it on priority basis.

(7) In cases pertaining to disputed amount for which the demand is not outstanding in the Demand and Collection Register (DCR), the amount of tax, interest, late fee and/ or penalty shall be deemed to be as per the original assessment/ reassessment order or show cause notice issued in regard of the said disputed amount. In such cases, the assessing authority concerned shall withdraw the proceeding, if any, pending before himself or submit an application for withdrawal of the case pending before any Court or Tax Board or Appellate Authority, as the case may be, after deposit of prescribed amount as per the Table above, within the stipulated time.

(8) Where the case of prosecution has been filed by the department under clause (d) of sub-section (1) of section 67 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 or similar provisions of the repealed Act(s) and the applicant has deposited the amount as required under this scheme, the assessing authority shall proceed to withdraw the case from the court.

5. Conditions.- The benefits of this scheme shall be available on the fulfillment of the following conditions, namely:-

(i) The applicant has deposited the amount required as per column number 3 of the Table above and as per Explanation (1) to clause 4 above;

(ii) The applicant has submitted an undertaking for withdrawal of case, if any, pending before any Court or Tax Board or Appellate Authority, as the case may be, within the operative period of this scheme; and

(iii) No refund for any year or regarding any Act shall be allowed if it is co-related in any manner due to rebate of tax and/ or waiver under this scheme.

6. Procedure for availing benefit.- (1) To avail the benefit under this scheme, the applicant shall electronically convey his willingness on the Commercial Taxes Department's website **www.rajtax.gov.in** regarding the same to the concerned Assessing Authority.

(2) Separate intimation of willingness shall be conveyed for outstanding demand/ disputed amount under separate Acts as well as before separate Assessing Authorities.

(3) In case of any dealer or person opting for benefits under this scheme, the Assessing Authority shall electronically convey the details of pending demand(s) and disputed

amount(s) against the dealer or person alongwith the payment to be made in pursuance of this scheme and consequent benefits to be accrued.

(4) The detailed procedure, clarification and order for removal of difficulties, if any, for availing benefit under this scheme shall be as notified by the Commissioner, Commercial Taxes Department, Rajasthan.

(5) In case of any dispute regarding the categorization of outstanding demand or disputed amount under serial number 1 to 3 of the Table above, the decision of Commissioner, Commercial Taxes shall be final.

7. Provisions for cases pending under Amnesty Scheme-2023.- (1) Where a dealer has opted for payment in instalments under Amnesty Scheme-2023 and has paid any instalment, such cases shall be governed by the provisions of the said scheme of 2023.

(2) In all other cases not covered under sub-clause (1) above, in which any task is pending under Amnesty Scheme-2023 prior to the issuance of this scheme, willingness submitted under the said scheme of 2023 shall be deemed to have been submitted under this scheme and amount required to be paid shall be communicated afresh to the dealer as per the Table of this scheme. The amount deposited, if any, under Amnesty Scheme-2023 shall be adjusted against the amount required to be paid as per the Table of this scheme.

(3) No refund of any payment already made under Amnesty Scheme-2023 shall be allowed due to rebate of tax and/or waiver under this scheme.

[No.F.12(7)FD/Tax/2024-72]
By order of the Governor,

(Namrata Vrishni)
Joint Secretary to the Government.

TRANSPORT & ROAD SAFETY DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, February 08, 2024

S.O.539 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No.11 of 1951), the State Government hereby,-

(i) exempts the Motor Vehicle Tax, Special Road Tax, Surcharge, penalty and interest, if any, payable on destroyed vehicles, if Motor Vehicle Tax, Special Road Tax and Surcharge payable upto the date on which such vehicle was destroyed is deposited on or before 31.07.2024;

(ii) exempts the penalty and interest payable on Motor Vehicle Tax, Special Road Tax, One Time Tax, Lump Sum Tax and Surcharge upto 31.03.2023 on vehicles not covered under clause (i) above, if,-

(a) any due Motor Vehicle Tax, Special Road Tax, One Time Tax, Lump Sum Tax and Surcharge is deposited on or before 31.07.2024; and

(b) penalty and interest, due on Motor Vehicle Tax, One Time Tax and Surcharge payable after 31.03.2023 is deposited on or before 31.07.2024.

Above exemption shall be subject to following conditions, namely:-

(i) The vehicle owner shall apply before the Taxation Officer for the exemption.

(ii) The amount of Motor Vehicle Tax, Special Road Tax including Surcharge, penalty or interest, if any, paid earlier shall not be refunded.

(iii) In case of disputes regarding exemption, the decision of the Transport Commissioner shall be final.

Explanation: The date of destruction of the vehicle shall be determined in accordance with the procedure specified by the Transport Commissioner.

[No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2024-25/1]
By Order of the Governor,

(Sohan Lal Meena)
Deputy Secretary to the Government.

TRANSPORT & ROAD SAFETY DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, February 08, 2024

S.O.540 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 200 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988), the State Government hereby authorises the District Transport Officer to compound the offences found committed on or before 31.01.2024 under clause (b) of sub-section (3) of section 113 of the said Act, on the basis of information received through e-ravanna of the Mines Department, for the compounding amount as specified in column 3 of the table given below, namely:-

Table

S. No.	**Total compounding amount payable for a vehicle upto 31.01.2024 on the basis of this department's notification number F.7(47)/Pari/Rules/H.Q./87/ part/1/1 dated 24.02.2021 (in Rs.)**	**Compounding amount payable for a vehicle for offence committed upto 31.01.2024**
1	**2**	**3**
1.	Upto 1 lakh	25% of the amount payable under notification number F.7(47)/Pari/Rules/ H.Q. /87/part/1/1 dated 24.02.2021

2.	Above 1 lakh and upto 10 lakh	Rs. 25,000/- + 10% of the amount above 1 lakh payable under notification number F.7(47)/Pari/Rules/H.Q./87/part/1/1 dated 24.02.2021
3.	Above 10 lakh and upto 25 lakh	Rs. 1,15,000/- + 8% of the amount above 10 lakh payable under notification number F.7(47)/Pari/Rules/H.Q./87/part/1/1 dated 24.02.2021
4.	Above 25 lakh and upto 50 lakh	Rs. 2,35,000/- + 6% of the amount above 25 lakh payable under notification number F.7 (47)/Pari/Rules/H.Q./87/part/1/1 dated 24.02.2021
5.	Above 50 lakh and upto 75 lakh	Rs. 3,85,000/- + 4% of the amount above 50 lakh payable under notification number F.7(47)/Pari/Rules/H.Q./87/part/1/1 dated 24.02.2021
6.	Above 75 lakh and upto 1 crore	Rs. 4,85,000/- + 2% of the amount above 75 lakh payable under notification number F.7(47)/Pari/Rules/H.Q./87/part/1/1 dated 24.02.2021
7.	More than 1 crore	Rs. 5,35,000/- + 1% of the amount above 1 crore payable under notification number F.7(47)/Pari/Rules/H.Q./87/part/1/1 dated 24.02.2021

Provided that,-

(i) the compounding amount for a vehicle shall not be more than half of the insured value given in the Insurance Certificate of the vehicle.

(ii) the compounding amount for Agriculture Tractor-Trolley shall not be more than Rs.7,500/-.

This notification shall remain in force upto 31.07.2024.

[No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2024-25/2]
By Order of the Governor,

(Sohan Lal Meena)
Deputy Secretary to the Government.

TRANSPORT & ROAD SAFETY DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, February 08, 2024

S.O.541 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 211A of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988) read with sub-rule (2) of rule 172 of Central Motor Vehicles Rules, 1989, the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest, so to do, hereby prescribes that driving license and registration certificate shall be issued electronically only, through digital signature or through e-signature as specified under the provisions of the Information Technology Act, 2000 (Central Act No. 21 of 2000) with effect from 01.04.2024.

[No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2024-25/3]
By Order of the Governor,

(Sohan Lal Meena)
Deputy Secretary to the Government.

TRANSPORT & ROAD SAFETY DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, February 08, 2024

S.O.542 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No.11 of 1951), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest, so to do, hereby exempts from payment of penalty and interest payable on Motor Vehicle Tax, Special Road Tax, One Time Tax, Lump Sum Tax and Surcharge on End-Of-Life Vehicles, subject to the following conditions, namely:-

(i) if such vehicle is deposited for scrapping at Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF) upto 31.03.2025 and the due Motor Vehicle Tax, Special Road Tax, One Time Tax, Lump Sum Tax and Surcharge have been deposited before deposition of vehicle at Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF);

(ii) the amount of Motor Vehicle Tax, Special Road Tax and surcharge, penalty or interest, if any, paid earlier shall not be refunded; and

(iii) if any dispute arises regarding such exemption, the decision of the Transport Commissioner shall be final.

Explanation: For the purpose of this notification "End-Of-Life Vehicles" and "Registered Vehicle Scrapping Facility" shall have the same meaning as defined in the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021.

[No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2024-25/4]
By Order of the Governor,

(Sohan Lal Meena)
Deputy Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur